प्रेस विज्ञप्ति

22वीं ईजीएम: इरेडा के शेयरधारकों द्वारा क्यूआईपी के माध्यम से ₹5,000 करोड़ तक के फंड जुटाने के लिए मंजूरी

नई दिल्ली, 24 फरवरी 2025

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के शेयरधारकों ने एक या कई किस्तों में इक्विटी शेयरों के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹5,000 करोड़ तक जुटाने के लिए कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज आयोजित 22वीं असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव के पक्ष में शेयरधारकों द्वारा मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने की और इसमें बोर्ड के निदेशकों और शेयरधारकों ने भाग लिया।

इरेडा के बोर्ड ने पहले 23 जनवरी, 2025 को फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी, जिसके द्वारा कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी को एक या कई किस्तों में जारी इक्विटी के बाद 7% तक कम करना शामिल है।

शेयरधारकों को संबोधित करते हुए, इरेडा के सीएमडी, श्री प्रदीप कुमार दास ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों के दौरान इरेडा के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बारे में प्रकाश डाला, जिसमें ₹68,960 करोड़ की ऋण बुक , ₹31,087 करोड़ के स्वीकृत ऋण और ₹17,236 करोड़ का ऋण संवितरण शामिल है। उन्होंने कहा कि , "क्यूआईपी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि हमारी हरित वित्तपोषण क्षमताओं को मजबूत करेगी, ऋण बुक वृद्धि को गति देगी और भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करेगी।"

श्री दास ने शेयरधारकों को आगे यह भी बताया कि इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड, जोकि इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है, जिससे उसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक वित्तीय कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि , "यह उपलब्धि हेजिंग जोखिमों को कम करके विदेशी मुद्रा में ऋण देने और सेवा देने के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करती है।"

उक्त फंड जुटाने की मंजूरी के अलावा, शेयरधारकों ने इरेडा के एसोसिएशन के प्रलेखों में संशोधनों के बारे में भी सहमति व्यक्त की। इन संशोधनों में भारत और विदेशों में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के गठन के लिए प्रावधान शामिल हैं, साथ ही बोर्ड को सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन 'नवरत्न' दर्जा के तहत बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।